राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 74/जयपुर/95-96

यह प्रमाणित किया जाता है कि जागृति विद्या मंदिर शिक्षा संस्था जयपुर जिला जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक [illegible] माह जून सन् एक हजार नौ सौ [illegible] को [illegible] में दिया गया।

(नरेन्द्र [illegible] राठौर)

रजिस्ट्रार संस्थाएं

जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं

रा. रा. म. मु. लि०, जयपुर-I

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ–विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :—

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्ग दर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सूचित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन–तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।

अध्यक्ष   Manju Sharma मंत्री   कोषाध्यक्ष

चिकित्साधिकारी प्रभारी

अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा :— [illegible] संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण ... एवं [illegible] के लिए स्थापित संस्थाएं, सैनिक, अनाथ निधियां, साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं के उन्नयन के लिये स्थापित संस्थाएं, सदस्यों के सामान्य उपयोग या जनता के लिये पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना या निर्वहन के लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारी एवं अन्य कलाकृतियों की [illegible] की स्थापना या निर्वहन के लिये स्थापित संस्थाएं, प्राकृतिक इतिहास के संग्रह और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों उपकरणों या डिजाइनों के लिये स्थापित संस्थाएं।

[illegible] तिवारी
[illegible]

2

[illegible signatures]

आदर्श शिक्षा मंदिर [illegible] समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम आदर्श शिक्षा मन्दिर [illegible] समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय [illegible] [illegible] [illegible] है।

तथा इसका कार्यक्षेत्र [illegible] [illegible] क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:—

1. बालकों को बौद्धिक, मानसिक, तथा शारीरिक विकास के लिये विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, [illegible] प्रयोगशाला, व्यायामशाला और संगठन का संचालन करना;
2. पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला शिक्षा [illegible] के [illegible] में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
3. [illegible] नागरिकों का [illegible] नीतियों का [illegible] करना।
4. लोक कल्याणकारी साहित्य, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं प्रसारण करना तथा बालकों में [illegible] प्रतिभाओं को निखारने के लिये विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

5.

3

[illegible signatures]

5. स्थानीय नागरिकों, बालिकाओं में राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की भावना का विकास करना।
6. पूर्ण अनुशासित रहते हुए लोकतान्त्रिक भावना का विकास करना।
7. उपयुक्त स्थान पर शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु नई संस्थायें स्थापित करना।
8. [illegible] विभाग एवं बोर्ड से योजनायें लेकर [illegible] करना।
9. केन्द्र सरकार से नई नई योजनायें प्राप्त कर उनका संचालन करना।

[illegible stamp]

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

[signature] अध्यक्ष — Manju Sharma मंत्री — [signature] कोषाध्यक्ष

4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :—

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री [illegible] शर्मा S/O [illegible] शर्मा	([illegible])	[illegible], जयपुर	[illegible]
2.	श्री [illegible] तिवारी S/O श्री [illegible] प्रसाद शर्मा	(सर्विस)	[illegible] रोड, [illegible], जयपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती [illegible] W/O श्री [illegible]	(गृहिणी)	[illegible]	मंत्री
4.	[illegible] शर्मा S/O श्री [illegible] शर्मा	(सर्विस)	[illegible], जयपुर	कोषाध्यक्ष
5.	[illegible] पुत्र श्री [illegible] शर्मा	व्यापार	[illegible]	सदस्य
6.	[illegible] पुत्र श्री [illegible]	व्यापार	[illegible] रोड, [illegible], जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमती [illegible] पत्नी श्री [illegible] शर्मा	व्यापार	[illegible], जयपुर	सदस्य
8.	[illegible] पुत्र श्री [illegible] शर्मा	सर्विस	[illegible] रोड, [illegible], जयपुर	सदस्य
9.	[illegible] शर्मा पुत्र श्री [illegible] प्रसाद शर्मा	सर्विस	[illegible] रोड, [illegible], जयपुर	सदस्य
10.	[illegible] लाल शर्मा पुत्र श्री [illegible] शर्मा	सर्विस	[illegible] रोड, [illegible], जयपुर	सदस्य
11.	[illegible] पुत्री श्री [illegible]	सर्विस	[illegible], जयपुर	सदस्य

[signature] अध्यक्ष — Manju Sharma मंत्री — [signature] कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	[illegible] (अध्यक्ष) [illegible] जयपुर			[illegible]
2.	[illegible] (सचिव) [illegible] जयपुर			
3.	[illegible] (सदस्य) [illegible] जयपुर			[illegible]
4.	[illegible] (सचिव) [illegible] जयपुर			[illegible]
5.	[illegible] (सदस्य) [illegible]			[illegible]
6.	[illegible] (सदस्य) [illegible] जयपुर			[illegible]
7.	[illegible] (सचिव) [illegible] जयपुर			
8.	[illegible] (सचिव) [illegible] जयपुर			[illegible]
9.	[illegible] (सदस्य) [illegible] जयपुर			[illegible]
10.	[illegible] (सचिव) [illegible] जयपुर			[illegible]

6

[illegible] अध्यक्ष | [illegible] मंत्री | [illegible] कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
11.	[illegible] (सदस्य) [illegible] जयपुर			[illegible]
12.	[illegible] (सदस्य) [illegible] जयपुर			[illegible]
13.	[illegible] (सदस्य) [illegible] जयपुर			[illegible]
14.	[illegible] (सचिव) [illegible] जयपुर			[illegible]
15.	[illegible] (सदस्य) [illegible] जयपुर			[illegible]
16.				
17.				
18.				

[illegible] अधिकारी
चिकित्सा [illegible]
[illegible] जयपुर (राज.)

7

[illegible] अध्यक्ष | [illegible] मंत्री | [illegible] कोषाध्यक्ष

क्र.सं. नाम/पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | हस्ताक्षर

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Manju Sharma

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

क्र.सं. नाम/पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | हस्ताक्षर

31.

32.

33.

34.

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
(दिनेश माथुर)

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR
13/7/

Manju Sharma

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

10. संस्था का विधान [illegible]

[illegible] समिति/परिषद/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम [illegible] समिति/परिषद/संस्थान [illegible] है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय [illegible] है तथा इसका कार्यक्षेत्र [illegible] तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1- बालकों को [illegible] [illegible] तथा [illegible] [illegible] विद्यालय, [illegible] [illegible] [illegible] आदि [illegible] संचालन करना,

2- पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला [illegible] के [illegible] से शिक्षा [illegible] प्रचार व प्रसार करना,

3- [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सहायता करना,

4- [illegible] [illegible] साहित्य पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन, वितरण एवं [illegible] [illegible] [illegible] नागरिक [illegible] [illegible]

5- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रतियोगिताओं का आयोजन करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

10

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

(5)- [illegible] [illegible] [illegible]

(6)- [illegible] [illegible] [illegible] करना,

(7)- [illegible] [illegible] शिक्षा को [illegible] एवं [illegible] [illegible] करना,

(8)- [illegible] [illegible] विभाग एवं बोर्ड की योजनायें [illegible] संचालन करना

(9)- केन्द्र सरकार से जारी [illegible] योजनायें [illegible] उनका संचालन करना

11–

12–

13–

[illegible]

11

Manju Sharma

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

४–संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें : 1–साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2–साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3–बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4–कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5–संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—

1–अध्यक्ष— एक   2–उपाध्यक्ष—एक

3–मन्त्री— एक   4–कोषाध्यक्ष—एक

5–सदस्य—तीन

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या वर्तमान परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में.......4.......पदाधिकारी व ....7.......सदस्य कुल.......4.......सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1–संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।

2–चुनाव [illegible] द्वारा किया जायेगा।

3–चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :—

1–सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2–वार्षिक बजट तैयार करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1—संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2—बालिग हों।

3—पागल, दीवालिये न हों।

4—संस्था के उद्देश्यों में निश्चित आस्था रखते हों।

5—संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :—

1—संरक्षक

2—विशिष्ठ

3—जन्मजन्मांतर

4—साधारण

(जो लागू न हों, उन्हें काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में वर्णित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—

1—संरक्षक राशि......1100/=......वार्षिक/आजन्म

2—विशिष्ठ राशि......—......वार्षिक/आजन्म

3—जन्मजन्मांतर राशि......—......वार्षिक

4—साधारण राशि......51/=......वार्षिक

उक्त राशि का एक मुश्त अथवा रु.......एकमुश्त.......
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :—

1—मृत्यु होने पर

2—त्याग पत्र देने पर

3—संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4—प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

[illegible] के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु पेश करेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1—प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2—वार्षिक बजट पारित करना।

3—प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना तथा पुष्टि करना।

अध्यक्ष Sharma मंत्री कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष Sharma मंत्री कोषाध्यक्ष

3—संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4—वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।

5—साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6—कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7—अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें : 1—कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2—लगभग बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3—बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन के कम समय में भी दी जा सकती है।

4—कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों

अध्यक्ष   Manju Sharma मंत्री   कोषाध्यक्ष

के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1. अध्यक्ष

1—बैठकों की अध्यक्षता करना।

2—मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3—बैठक आहूत करना।

4—संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5—अनुबंध, तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना,

2. उपाध्यक्ष :

1—अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2—प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3. मन्त्री :

1—बैठकें आहूत करना।

2—कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष   Manju Sharma मंत्री   कोषाध्यक्ष

3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5-संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6-पत्र व्यवहार करना।

7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4. उपमन्त्री :

1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

सार्वजनिक

5. कोषाध्यक्ष :

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1-चन्दा

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

2-शुल्क

3-अनुदान

4-सहायता

5-राजकीय अनुदान

1-उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।

2-अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :

1-अध्यक्ष 5000/- रु.

2-मन्त्री 5000/- रु.

3-कोषाध्यक्ष 3000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से करवाया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जावेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

20. संस्था का विघटन । यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण । रजिस्ट्रार संस्थाएं ....उदयपुर........को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) उदयपुर .... [illegible] (समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 247 उदयपुर/92-93
2. संस्था का नाम [illegible]
3. निरस्त दस्तावेज [illegible]
4. दस्तावेज की सं. [illegible]
5. दिनांक [illegible]
6. [illegible]

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

[signatures]

जागृति विद्या मंदिर शिक्षा संस्थान

396, उद्योग नगर, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर

तुलनात्मक संशोधित विधान

क्र.सं.	विधान की धारा	धारा का शीर्षक	पूर्व के रजिस्टर्ड विधान में उल्लेख	संशोधित विधान में उल्लेख
01.	03	संस्था का उद्देश्य	क्र0सं0 1 से 9 तक यथावत	पूर्व में उल्लेखित 1 से 9 तक यथावत एंव 10 उच्च शिक्षा, विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल इजनियरिंग, नर्सिंग, बी0एड0, विधि कालेज की स्थापना करना एव उसका नियमानुसार संचालन करना ।
02.	11	कार्य कारिणी का गठन	संस्था के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिये निम्न प्रबन्धकारिणी का गठन [illegible] 1. अध्यक्ष — एक 2. उपाध्यक्ष — एक 3. सचिव — एक 4. कोषाध्यक्ष — एक 5. सदस्य — सात इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में चार पदाधिकारी एंव सात सदस्य कुल ग्यारह सदस्य [illegible]	संस्था के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिये निम्न प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा :- 1. अध्यक्ष — एक 2. उपाध्यक्ष — एक 3. सचिव — एक 4. कोषाध्यक्ष — एक 5. सदस्य — ग्यारह इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में चार पदाधिकारी एंव ग्यारह सदस्य कुल पन्द्रह सदस्य होगें ।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि यह दस्तावेज
मिसल में दाखिल कराये गये दस्तावेज
पृष्ठ सं0............से पृष्ठ सं0............
तक है । की सत्यप्रति है ।
देने की दिनांक 18.7.0[illegible]
तैयार करने वाले के हस्ताक्षर............

रजिस्ट्रार, संस्थाएं
जयपुर

कोषाध्यक्ष   सचिव   अध्यक्ष

जागृति विद्या मंदिर शिक्षा संस्थान

306, उद्योग नगर, सिवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर-302012

क्रमांक [illegible] दिनांक ....

जागृति विद्या मंदिर शिक्षा संस्थान की दिनांक 05/07/16 की वार्षिक साधारण सभा में तीन वर्ष के लिये निर्वाचित नवीन प्रबन्धकारिणी की सूची–

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमती मंजू शर्मा	स्व.श्री [illegible] शर्मा	समाज सेवा	उद्योगनगर सिवाड़ रोड झोटवाड़ा जयपुर	अध्यक्ष	मंजू शर्मा
2	श्री भरत शर्मा	श्री आर. के. शर्मा	अध्यापन	306, उद्योग नगर, सिवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	सचिव/निदेशक	[illegible]
3	श्रीमती मीनाक्षी	श्री अशोक कुमार शर्मा	अध्यापन	[illegible], झोटवाड़ा, जयपुर	कोषाध्यक्ष	मीनाक्षी
4	श्री राजेन्द्र शर्मा	श्री [illegible] लाल	सर्विस	उद्योग नगर, सिवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	सदस्य	[illegible]
5	श्रीमती लक्ष्मी जोशी	श्री मुकेश जोशी	समाज सेवा	एच 54, [illegible] कॉलोनी, जयपुर	सदस्य	[illegible]
6	श्री [illegible]	श्री भगवती प्रसाद	सर्विस	लक्ष्मी नगर, सिवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	सदस्य	[illegible]
7	श्रीमती शीला शर्मा	श्री [illegible] शर्मा	अध्यापन	[illegible], [illegible] झोटवाड़ा जयपुर	सदस्य	[illegible]
8	श्रीमती ममता शर्मा	श्री डी.एल शर्मा	अध्यापन	[illegible] सिवाड़ रोड झोटवाड़ा जयपुर	सदस्य	[illegible]
9	श्रीमती अनुराधा	श्री विनोद शर्मा	गृहणी	मुरलीपुरा स्कीम, सीकर रोड, जयपुर	सदस्य	अनुराधा
10	श्रीमती [illegible] अग्रवाल	श्री [illegible] अग्रवाल	समाज सेवा	[illegible], सिवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	सदस्य	[illegible]
11	श्री अरुण [illegible]	श्री राजमल	सर्विस	11, शक्ति नगर, झोटवाड़ा, जयपुर [illegible] 1956	सदस्य	[illegible]
12	श्रीमती [illegible] देवी	श्री [illegible]	समाज सेवा	21, [illegible], झोटवाड़ा, जयपुर	सदस्य	[illegible]
13	श्रीमती [illegible] जैन	श्री सुभाष जैन	अध्यापन	[illegible], झोटवाड़ा, जयपुर	सदस्य	[illegible]
14	श्री आर. एस. शर्मा	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	सर्विस	[illegible], झोटवाड़ा, जयपुर	सदस्य	[illegible]
15	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा			जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर [illegible] जयपुर	विभागीय प्रतिनिधि	

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज की प्रतिलिपि में दाखिल ... से पृष्ठ सं. ...

सचिव/निदेशक ... सही है। 13-07-16

1 नकल देने की दिनांक ...

2 नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ...

मंजू शर्मा
अध्यक्ष

मीनाक्षी
कोषाध्यक्ष

[illegible]
सचिव/निदेशक